न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक
(लोकेश कुमार गौतम, आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्याः— 56/2017
प्रविष्टि दिनांकः— 20.07.2017

1. राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री रामेश्वर दीया
2. श्रीमति मंजू देवी धर्मपत्नि राजेन्द्र कुमार जाति तेली निवासीयान तेली मोहल्ला, देवली जिला—टोंक राज0।

.... अपीलाण्ट्स

बनाम

तहसीलदार देवली, तहसील देवली, जिला—टोंक, राज0।

.... रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्व निर्णय तहसीलदार देवली दि0 11.08.1997
नामान्तरकरण संख्या 230 वाके ग्राम पनवाड तहसील देवली

उपस्थितः (1) श्री पंकल कुमार, अभिभाषक अपीलाण्ट्स
(2) श्री जुगनू शर्मा, राजकीय अभिभाषक ओर से रेस्पोडेण्ट

अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

निर्णय

दिनांक 05.04.2018

1. संक्षेप में अपील का सार इस प्रकार है कि आराजी खसरा नं0 3629/32 रकबा 0.75 हेक्टर वाके ग्राम पनवाड की भूमि में से रकबा 0.20 हेक्टर भूमि को आबादी में संपरिवर्तन करने से उक्त रकबा 0.75 हेक्टेयर में से कम कर नये खसरा नंबर 3650/3629/32 को आबादी में दर्ज न कर जरिये नामांतकरण सं0 230 दिनांक 11.08.1997 से अपीलाण्ट्स को बिना नोटिस दिये ही सिवायचक रूप में दर्ज करने का आदेश पारित किया गया है। उक्त आदेश विधि विरूद्व होने से निरस्त किया जाकर उ[illegible] संशोधित किये जाने हेतु यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है।

2. न्यायालय हाजा में अपील अपीलाण्ट्स प्रस्तुत होने पर अपील दर्ज रजिस्टर की गई एवं मूल नामान्तरकरण/रेकार्ड तलब किया गया। बहस अभिभाषक अपीलाण्ट एवं राजकीय अभिभाषक सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स ने अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलाण्ट ने दिनांक 22.01.1996 को खातेदार जगदीश पुत्र ओंकार जाति माली निवासी पनवाड तहसील देवली से खाता सं0 113 के खसरा नम्बर 32 रकबा 1.85 हेक्टेयर किस्म बारानी में से 0.75 हे. भूमि खरीद की थी और मौके पर कब्जा प्राप्त किया था जिसका नामांतकरण सं0 168 दिनांक 15.02.1996 को अपीलाण्ट के हक में जमाबंदी संवत 2051—2054 में दर्ज कर अपीलाण्ट्स को खातेदारी अधिकार प्रदान कि[illegible] गए। उक्त नामांतकरण के आधार पर नये ख0नं0 3629/32 रकबा 0.75 हेक्टेयर का जमाबंदी अपीलाण्ट्स के नाम दर्ज की गई थी तब से अपीलाण्ट्स उक्त नंबर के खातेदार काश्तकार थे। अपीलाण्ट्स ने उक्त भूमि को आबादी में संपरिवर्तन कराने हेतु क्षेत्रफल 0.

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

20 हे. का आवेदन रेस्पोडेण्ट को किया था जिस पर दिनांक 29.03.1996 को उक्त भूमि में से 0.20हे. का संपरिवर्तन कर रकबा कम किया गया था जिसका नामांतकरण सं0 230 पटवारी हल्का द्वारा भरकर गिरदावर द्वारा तस्दीक करने पर दिनांक 11.08.1997 को स्वीकार किया गया। नामांतकरण सं0 230 में आराजी खसरा नम्बर 3629/32 रकबा 0.75 हेक्टेयर में से 0.20 हे. आबादी में संपरिवर्तन करने से उक्त रकबा 0.75 हे. में से कम कर नये खसरा नंबर 3650/3629/32 को सिवायचक के रूप में दर्ज किया गया था जबकि उक्त भूमि आबादी में अपीलाण्ट्स के नाम परिवर्तित की गई थी जिसे आबादी में अपीलाण्ट्स के नाम दर्ज किया जाना न्याय संगत था किन्तु पटवारी हल्का द्वारा जान बूझकर उक्त भूमि को सिवायचक के रूप में दर्ज किया गया। अपीलाण्ट ने अपनी स्वय की खातेदारी की भूमि को स्वयं के नाम संपरिवर्तन कराया है, पटवारी हल्का द्वारा भरे गए नामांतकरण सं0 230 में भूमि की केवल मात्र किस्म परिवर्तन करना है और उक्त भूमि को आबादी दर्ज करना था और आबादी में दर्ज कर अपीलाण्ट्स के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करना था परन्तु पटवारी हल्का द्वारा सिवायचक दर्ज करने पर रेस्पोडेण्ट द्वारा स्वीकार किया गया है जो बिल्कुल गलत है। अतः अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार की जाकर विवादित नामांतकरण सं0 230 दिनांक 11.08.1997 अपास्त किया जाकर अपीलाण्एट्स के नाम गैर मुमकिन आबादी दर्ज किये जाने का आदेश फरमावे।

4. राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलाण्ट्स द्वारा नामान्तरकरण संख्या 230 दिनांक 11.08.1997 की अपील समयावधि उपरान्त लगभग 19 वर्ष बाद प्रस्तुत की है जो म्याद बाहर है। अतः अपील प्रा0 पत्र दफा 5 लिमिटेशन एक्ट में अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने के ऐसे तथ्य प्रस्तुत नहीं किये है जिससे समयावधि बाद प्रस्तुत यह अपील देरी से पेश किये जाने पर क्षमा योग्य मानी जावे। जहां तक नामान्तरकरण संख्या 230 वाके ग्राम पनवाड से राजस्व अभिलेख में इन्द्राज का प्रश्न है, उक्त नामान्तरकरण तहसीलदार देवली के आदेश की अनुपालना में अंकन सही होने पर पटवारी द्वारा भरा जाकर तथा गिरदावर द्वारा जांच उपरान्त दि0 11.08.1997 को तहसीलदार देवली द्वारा स्वीकार किया गया हैं। अतः अपील अपीलाण्ट्स खारिज फरमाई जावे।

5. हमने अभिभाषक अपीलाण्ट्स एवं राजकीय अभिभाषक की बहस को सुना व मनन किया तथा पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात, मूल नामान्तरकरण सं0 230 ग्राम पनवाड का भी ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। आराजी खसरा नं0 3629/32 रकबा 0.75 हेक्टर वाके ग्राम पनवाड की भूमि में से रकबा 0.20 हेक्टर भूमि को आबादी में संपरिवर्तन करने के लिए रकबा 0.75 हेक्टेयर में से कम कर संपरिवर्तन का आदेश होने पर पटवारी हल्का ने इसको नया नम्बर 3650/3629/32 लिखकर नामान्तकरण सं0 230 सिवायचक भूमि के नाम से भरकर पेश करने पर तहसीलदार देवली ने दिनांक 11.08.1997 को नामान्तकरण स्वीकार करने का आदेश पारित किया है। हल्का पटवारी ने उक्त नामांतकरण में आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित करते हुए सिवायचक लिखकर तथा नया ख0नं0 3650/3629/32 लिखकर अनाधिकृत अंकन कर दिया है जबकि यह भूमि संपरिवर्तन के बाद सिवायचक नहीं रही है तथा संपरिवर्तन राशि जमा होने के बाद खातेदार की आबादी भूमि बन गयी है जिसे राजस्व रिकार्ड में कम किया जाना आवश्यक था, अपीलाण्ट के उक्त तथ्यों से हम सहमत है। इसी क्रम में राज्य सरकार के परिपत्र

जिला कलेक्टर टोंक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

नं0एफ.6(26)राज.6/2014/33 दिनांक 06.10.2016 के अनुसार भी संपरिवर्तन हेतु प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों का निर्धारित प्रपत्र अनुसार रजिस्टर संधारित किया जाना आवश्यक है। परिपत्र अनुसार संपरिवर्तन आदेश होने के बाद संपरिवर्तन हुई भूमि को खातेदार की खातेदारी भूमि में से कम कर शेष भूमि का तहसीलदार द्वारा आवश्यक इन्द्राज राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज किया जावे। जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व रेकार्ड में ऐसा कोई अंकन नहीं किया गया। अतः अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार करते हुए नामांतकरण खारिज कर तहसीलदार देवली को नवीन परिपत्र अनुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित करना उचित होगा।

आदेश

7. फलतः उपरोक्त विवेचनो के आधार अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 230 दिनांक 11.08.1997 वाके ग्राम पनवाड निरस्त किया जाता है। साथ ही तहसीलदार देवली को निर्देशित किया जाता है कि नवीन परिपत्र अनुसार संपरिवर्तन हेतु प्राप्त आवेदन को निर्धारित प्रपत्र अनुसार रजिस्टर में दर्ज करे तथा पेंसिली नोट जमाबन्दी खाते में लगावे एवं तदानुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही की जावे।

8. निर्णय आज दिनांक 05.04.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

(लोकेश कुमार गौतम)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक (राज0)